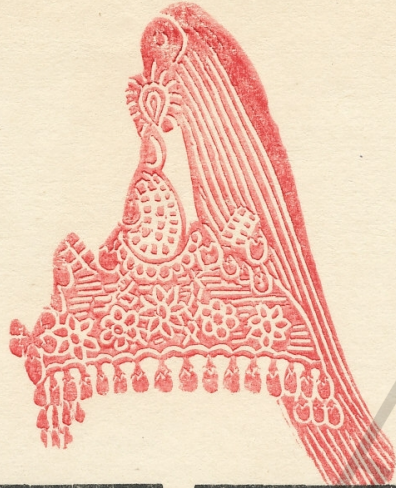




नेपाल राजपत्र

भाग ३

श्री ५ को सरकारद्वारा प्रकाशित

खण्ड २७] काठमाडौं, असार ६ गते २०३४ साल [अतिरिक्ताङ्क १६

श्री ५ को सरकार
कानून तथा न्याय मन्त्रालयको
सूचना

विशेष अदालत ऐन, २०३१ को दफा ५ को उप-दफा (३) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी श्री ५ को सरकारले यो आदेश जारी गरेको छ ।

वादी श्री ५ को सरकार प्रतिवादी श्री देवीदत्त शर्मा समेत भएको लागू औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ अन्तर्गत दायर गरिने चरेशसम्बन्धी मुद्दा कारवाई र किनारा गर्न वाग्मती विशेष अदालतलाई सुम्पिएको छ ।

आज्ञाले-

चूडामणिराज सिंह मल्ल
श्री ५ को सरकारको सचिव

रामचन्द्र लाल

६ मार्च

महोदय महाराज महाराज कि ५ दि

३९ कुमावतीलीस] मास ४६०६ त ३ मास, डिमाठाक [७५ दण्ड

महोदय कि ५ दि

किमाठाक मास १९९९ त ३ मास

महोदय

महोदय किमाठाक कि (६) मास-३९ कि ५ मास कि ९६०६ त ३ मास, डिमाठाक

। उ किमाठाक मास १९९९ त ३ मास, डिमाठाक कि ५ दि

महोदय मास किमाठाक किमाठाक किमाठाक किमाठाक किमाठाक किमाठाक किमाठाक

महोदय मास किमाठाक किमाठाक किमाठाक किमाठाक किमाठाक किमाठाक किमाठाक

। उ किमाठाक मास १९९९ त ३ मास, डिमाठाक

-लिमाठा

महोदय मास किमाठाक

महोदय किमाठाक कि ५ दि

। महोदय मास किमाठाक किमाठाक किमाठाक किमाठाक किमाठाक किमाठाक किमाठाक

आधिकारिकता मुद्रा विभागबाट प्रमाणित गरिएपछि मात्र लागु हुनेछ।